

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक. 782 दिनांक. 6/3/2013

गत सभा दिनांक 4/3/2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती

है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर  
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 783 दिनांक 06-03-2013

झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 21 के अन्तर्गत रामनगर मेनराड नाले से जगन्नाथ नगर कोने तक सीमेन्ट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 195/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 01-01-2013 पर आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 207 दिनांक 10-01-13 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 9,99,500/- पर दिनांक 04-10-2012 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स मानस इन्टरप्राईजेस द्वारा प्रस्तुत दर रुपये 2.60 प्रतिशत अधिक की राशि रुपये 25,987/- सहित कुल राशि रुपये 10,25,487/- के कार्य कराने की वित्तीय, प्रशासकीय एवं निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से किया जावें।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.....

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

आयुक्त संलग्न 1 फाईल।

रेसीडेन्सी ऑडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 784 दिनांक 06-03-2013

राजीव आवास योजना अन्तर्गत आमंत्रित तृतीय निविदा के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 60/आरएवाय/दिनांक 05-02-13 प्रभारी जनकार्य विभाग की राय क्रमांक 241 दिनांक 23-02-13 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 99 दिनांक 22-05-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु तृतीयबार दिनांक 17-12-2012 को प्राप्त निविदाओं में प्रस्ताव अनुसार निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाताओं की दरें निम्नानुसार दरें स्वीकृत की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

1-चिकित्सा नगर (प्रथम) में कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि 5,06,69,000/- पर अशुतोष शर्मा द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 1.96 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 9,93,112/-सहित कुल आकार राशि रूपये 5,16,62,112/- की निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है।

2-चिकित्सा नगर (द्वितीय) में कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि 7,69,64,000/- पर अशुतोष शर्मा द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 1.96 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 15,08,494/-सहित कुल आकार राशि रूपये 7,84,72,494/- की निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है।

3-इन्द्रजीत नगर में कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि 7,08,85,000/- पर वैभव इंटरप्राइजेंस द्वारा निगोसिएशन में दी गई सहमति अनुसार निगोसिएटेट न्यूनतम दर 4.95 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 35,08,807/-सहित कुल आकार राशि रूपये 7,43,93,807/- की निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है।

3. संक्षेपिका में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अंतिम निर्णय होने पर तदानुसार कार्यवाही की जावे।

4. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:—

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 785 दिनांक 06-03-2013

उद्यान विभाग के अन्तर्गत शहर के पश्चिमी रिंग रोड फुटी कोठी चौराहा से चंदन नगर चौराहे तक डिवाइडर का निर्माण कर जाली लगाने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 06-03-13 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 645 दिनांक 22.12.2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 89,13,000/- पर दिनांक 26.12.2012 को प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादर दाता मेसर्स विनोद शर्मा द्वारा प्रस्तुत दर रूपये 4.98 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 4,43,867/- सहित कुल राशि रूपये 93,56,867/- के कार्य कराने की वित्तीय, प्रशासकीय एवं निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से किया जावे।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 786 दिनांक 06-03-2013

उद्यान विभाग के अन्तर्गत शहर के पश्चिमी रिंग रोड पर स्थित सर्विस रोड के ग्रीन बेल्ट की भूमि पर सीमेंट पोल लगाकर फेंसिंग करना एवं जाली सीमेंट पोल की मरम्मत करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 06.03.2013 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 644 दिनांक 22.12.2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 43,00,000/- पर दिनांक 26.12.2012 को प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादर दाता मेसर्स जीत कन्सट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर रूपये 0.25 प्रतिशत कम की राशि रूपये 10,750/- सहित कुल राशि रूपये 42,89,250/- के कार्य कराने की वित्तीय, प्रशासकीय एवं निविदा दर की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से किया जावे।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 787 दिनांक 06-03-2013

प्राणी संग्रहालय में विगत 3 वर्षों से लगातार कार्यरत 02 कुशल + 23 अकुशल कुल 25 मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 836 / प्राणी संग्रहालय/2012 दिनांक 07-12-12 पर प्रभारी विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की पृष्ठांकन राय क्रमांक 3247 दिनांक 29-01-2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्वास्थ्य विभाग में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 235 दिनांक 28-07-2012 के तारतम्य में प्राणी संग्रहालय में प्रतिदिन सम्पन्न किये जाने वाले अतिआवश्यक कार्यों के दृष्टिगत कार्यरत 02 कुशल + 23 अकुशल कुल 25 दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि दिसम्बर 2012 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी-2013 से दिनांक 30 जून 2013 तक की अवधि वृद्धि पर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है तथा अनुपस्थित तीन दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिकों के स्थान रखे गये तीन दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिकों की पुष्टि की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक

दिनांक.

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 788 दिनांक 06-03-2013

मलेरिया टास्क फोर्स के अंतर्गत 52 श्रमिकों की अवधि वृद्धि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3392-ए दिनांक 06-03-2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 470, दिनांक 03-11-2012 के तारतम्य में मलेरिया टास्क फोर्स के अंतर्गत मलेरिया स्वास्थ्य विभाग में शहर के नदी-नालों की सफाई, लारवा नाशक दवाओं का छिड़काव, धुआं मशीनों के संचालन आदि कार्यों के लिये 52 दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी-2013 से दिनांक 30 जून 2013 तक के लिये अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है। इनमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के उपरान्त ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 789 दिनांक 06-03-2013

महापौर टास्क फोर्स के अन्तर्गत कार्यरत अतिरिक्त श्रमिकों की अवधि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3391 दिनांक 06-03-2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में स्वास्थ्य समिति टास्क फोर्स के अन्तर्गत 50-50 एवं तीन अतिरिक्त 30-30 श्रमिकों के आधार महापौर टास्क फोर्स दल के गठन हेतु कुल 190 अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिकों की कार्यावधि दिसम्बर 2012 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी-2013 से दिनांक 30 जून 2013 तक की अवधि वृद्धि पर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 790 दिनांक 06-03-2013

स्वास्थ्य विभाग में रखे गए अतिरिक्त सफाई श्रमिकों की अवधि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3392 दिनांक 06-03-2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्वास्थ्य विभाग में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 379,380,381 एवं 382 दिनांक 30-08-2012 के तारतम्य में झोन क्रमांक 01 पर 95, झोन क्रमांक 04 पर 80, झोन क्रमांक 07 पर 85, तथा झोन क्रमांक 08 के अन्तर्गत 100 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की स्वीकृति झोन/वार्ड वार्डज दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मी की कमी के मद्देनजर उक्तानुसार रखे कुल 360 अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी सफाई श्रमिकों की अवधि दिसम्बर 2012 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जनवरी-2013 से दिनांक 30 जून 2013 तक की अवधि पर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इनमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के उपरान्त ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 791 दिनांक 06-03-2013

झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 22 चौथा संसार (सांवेर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र) के पीछे श्री नाथ पाईप फेक्ट्री के सामने से नाले तक जनसहयोग से स्ट्राम वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 211/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 18-01-2013 पर आवास पर्यावरण एवं लोकनिर्माण समिति की राय क्र. 218 दिनांक 01-02-13 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 11,42,446/- की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं रुपये 5,81,006/- की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है तथा जनसहयोग के रूप में राशि रुपये 5,61,440/- प्राप्त की जावें ।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर-इन-कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक

दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,
2. रेसीडेन्सी ऑडिट  
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 792 दिनांक 06-03-2013

बिचौली हप्सी में सिटी फॉरेस्ट बनाने हेतु चारों ओर बाउण्ड्री पर सीमेंट पोल लगाकर इन्टरलिंग जाली लगाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 679 दिनांक 23-02-13 प्रभारी खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान विभाग की राय क्रमांक 77 दिनांक 02-03-13 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 12,90,000/- की दिनांक 06-11-2012 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. सतीश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर राशि रूपये 5 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 64,500/- जोड़कर कुल आकार राशि रूपये 13,54,500/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 794 दिनांक 06-03-2013

प्रोजेक्ट उत्थान अंतर्गत आई.टी. सपोर्ट की अवधि में वृद्धि करने संबंध में आयुक्त की नोटशीट दिनांक 09-11-2012 पर विचार किया गया। चर्चा की गई। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 378 दिनांक 20-01-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त की टीप दिनांक 09-11-2012 की अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में प्रोजेक्ट उत्थान अंतर्गत नगर निगम की आई.टी. शाखा एवं विभिन्न प्रोजेक्ट एवं निगम के शाखाओं में संचालित कम्प्यूटरी कार्य के सुचारु संचालन एवं क्रियान्वयन करने हेतु एक सीनियर एवं एक जूनियर आई.टी. एक्सपर्ट की नियमित सेवाएं "Strengthening of e-Governance function of Indore Municipal Corporation" के तहत मे. वयायमटेक टेकनोलॉजी लि., नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई है, इनकी अवधि 31 अक्टूबर 2012 तक को समाप्त होने से पुनः कम्पनी का कार्यकाल दिनांक 31 दिसम्बर 2012 तक बढ़ाया गया है इसमें राशि रूपये 2,25,856/- का व्यय प्रस्तावित है कार्य एवं औचित्य के आधार पर आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 01 नवम्बर 2012 से दिनांक 31 दिसम्बर 2012 तक लिए की गई अवधि वृद्धि की पुष्टि की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

वंदन क्रांतिकारियों को कार्यक्रम के तहत वंदन क्रांतिकारी समिति 40 संवाद नगर इन्दौर द्वारा गांधी हॉल परिसर में 450 क्रांतिकारियों के परिचय सहित चित्रों की आयोजित प्रदर्शनी हेतु अनुदान देने के संबंध में विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में वंदन क्रांतिकारियों की आयोजन समिति 40 संवाद नगर, इन्दौर द्वारा दिनांक 08 अगस्त से 15 अगस्त 2012 तक गांधी हॉल परिसर में 450 क्रांतिकारियों के परिचय सहित चित्रों की प्रदर्शनी के लिए आयोजित कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाएं हेतु राशि रुपये 50,000/- (अक्षरी पचास हजार रुपये मात्र) का अनुदान देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "सांस्कृतिक सामाजिक, गतिविधियों में निगम अंशदान" में से होगा। नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७६६ दिनांक ६.३.२०१३

ईलाज हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती सुशीला बाई पता २० ब्रहम्बाग कॉलोनी इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २,००० की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक श्रीमती सुशीला बाई भंवर के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७६७ दिनांक ६.३.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री अशोक बारूलाल पता १८५, सी.डब्ल्यू,सुखलिया,इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २५,००/- की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्र. 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक **मदरलेण्ड इंग्लिश स्कूल के नाम से जारी किया जावे।**

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७६८ दिनांक ६.३.२०१३

ईलाज हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री सराफत हुसेन एहमद हुसैन पता ३७१ ,चन्दन नगर इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को ३,०००/- की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्र.79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक श्री सराफत हुसैन के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 800 दिनांक 06-03-2013

जेएनएनयूआरएम परियोजना अंतर्गत गतिशील योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवश्यक राशि के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 71/ज.एवं.ड्रे.यो.शा./2013 दिनांक 06.03.2013 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति अनुसार शहर विकास हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएँ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से स्वीकृत की गई है। संक्षेपिका में उल्लेखित परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना शहर हित में आवश्यक होने के कारण शासन स्तर पर विभिन्न समीक्षाओं के दौरान निगमांश/अतिरिक्त लागत का आंकलन किया गया एवं शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि जेएनएनयूआरएम अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में निगम को यूआईजी एवं बीएसयूपी परियोजना में आवश्यकतानुसार राशि सहायतार्थ / ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जावें। साथ ही शासन द्वारा जेएनएनयूआरएम में निर्धारित रिफार्म्स को भी समय-सीमा में पूर्ण किये जाने पर सहमति अपेक्षित है। इसी क्रम में निगम द्वारा जेएनएनयूआरएम में प्रचलित योजनाओं के क्रम में निगम को यूआईजी परियोजना में रु. 374.14 करोड़ एवं बीएसयूपी अंतर्गत रु. 29.09 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, जिससे कि योजनाओं के शेष कार्यों को पूर्ण किया जा सकें एवं निगम स्तर पर जेएनएनयूआरएम में निर्धारित रिफार्म्स को भी पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

3- विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति व अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यों की गतिशीलता को बनाये रखने हेतु एवं कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु निगम को यूआईजी परियोजना में रु. 374.14 करोड़ एवं बीएसयूपी अंतर्गत रु.29.09 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त करने हेतु शासन की ओर प्रस्ताव प्रेषित किया जावें। निगम स्तर पर जेएनएनयूआरएम में निर्धारित रिफार्म्स को भी पूर्ण किया जावें। निगम स्तर पर जेएनएनयूआरएम में निर्धारित रिफार्म्स को भी पूर्ण किया जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:—

1. आयुक्त,
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 801 दिनांक 06-03-2013

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 07 के उद्यानों हेतु कार्यरत 18 श्रमिकों की अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1028 दिनांक 09-01-13 पर प्रभारी खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान विभाग की राय क्रमांक 70 दिनांक 21-02-2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति तथा आयुक्त की स्वीकृति नोट शीट पृष्ठ क्रमांक 12 पर दी गई स्वीकृति एवं अनुशंसा के प्रकाश में उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 07 के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 33, वार्ड क्रमांक 36, वार्ड क्रमांक 37 एवं वार्ड क्रमांक 41 के उद्यानों के कार्य हेतु पूर्व से कार्यरत 18 श्रमिकों की कार्य अवधि दिनांक 30-11-2012 को समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-01-2012 से दिनांक 31 मार्च 2013 तक की अवधि वृद्धि पर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक.

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 802 दिनांक 06-03-2013

पौधों की सिंचाई हेतु ट्रेक्टर टेंकर हेतु ड्रायवर एवं हेल्पर रखे गये दो श्रमिकों की पुष्टि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 884/न.सौ.उद्यान/2012 दिनांक 01-01-13 पर प्रभारी खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान विभाग की राय क्रमांक 62/खाद्य/दिनांक 16.01.13 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में पौधों की सिंचाई हेतु ट्रेक्टर टेंकर हेतु ड्रायवर एवं हेल्पर को आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 03-03-1213 अनुसार रखे गये दो श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 05-03-2012 से कराये गये कार्य की पुष्टि एवं दिनांक 30 जून 2013 तक की स्वीकृति दी जाती है। इनमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के उपरान्त ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 803 दिनांक 06-03-2013

अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति उपरान्त सम्मानजनक बिदाई किये जाने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 477 दिनांक 10.7.2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त झोन अधिकारी, झोन क्र. 10 एवं नगर शिल्पज्ञ, जलयंत्रालय की टीप एवं अनुशांसा के प्रकाश में निगम सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरान्त सम्मानजनक बिदाई की परम्परा माह मई 2012 से प्रारंभ की जाने एवं सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्मानजनक बिदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित कर, हार, फूल, शाल, श्रीफल एवं प्रशसनीय पत्र से सम्मानित कर बिदाई करने की स्वीकृति दी जाती है। आगामी माह से सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सम्मानजनक बिदाई संबंधी कार्यक्रम उपायुक्त (स्थापना शाखा) द्वारा किया जावे। इस कार्यक्रम में होने वाला व्यय बजट मद "खेलकुद एवं सांस्कृति सामाजिक कार्यक्रम " में से होगा।

3. सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी प्रति व्यक्ति राशि रूपये 1000/- (अक्षरी-राशि रूपयें एक हजार केवल) तक अधिकतम व्यय की सीमा सुनिश्चित की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 804 दिनांक 06-03-2013

अतिरिक्त ड्रेनेज कर्मचारियों की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2653 दिनांक 28.01.13 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 94 दिनांक 04.02.2013 पर किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 223 दिनांक 16.04.2012 के तारतम्य में 05 (पांच) ड्रेनेज सफाई अस्थायी मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि समाप्त होने से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-12-2012 से दिनांक 31-03-2013 तक कार्य लेने की अवधि वृद्धि की जाती है। इनमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 805 दिनांक 06-03-2013

दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिक की पुष्टि एवं अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 120 दिनांक 29.08.11 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2236 दिनांक 02-12-11 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निगम सैन्ट्रल विभाग के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृति अनुसार कार्यरत श्रीमती दर्शना पति शेखर मोरे, दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिक से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर लिये गये कार्य की पुष्टि एवं दिनांक 30 जून 2013 तक जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) रूप से 29-29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देकर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 806 दिनांक 06-03-2013

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कार्य पर रखे गये 20 श्रमिकों की पुष्टि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 883/न.सो.उद्यान/2012 दिनांक 01.01.13 पर प्रभारी खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान विभाग की राय क्रमांक 63 दिनांक 16.01.2013 पर किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में कार्यालय नगर सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान वी.आई. पी. रोड़, एम.आर.-10 रोड़, रिंग रोड़ डिवाइडर पर पौधारोपण करने हेतु मिट्टी एवं खाद डालना तथा उक्त रोड़ के साईड में लगे पेड़ों की छंटाई एवं उसके रखरखाव हेतु आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 06-09-2012 अनुसार कार्य पर रखे गये 20 श्रमिकों की पुष्टि तथा उक्त कार्यो की निरन्तर देखरेख-रखरखाव के लिए 10 (दस) दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 31 मार्च 2013 तक कार्य लेने की अवधि वृद्धि की जाती है। इनमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 807 दिनांक 06-03-2013

कम्प्यूटर कार्य हेतु कार्य पर रखे गये कुशल श्रमिक की स्वीकृति/पुष्टि करवाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 9517/न.सो.उद्यान/2012 दिनांक 13.02.13 पर प्रभारी खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान विभाग की राय क्रमांक 74 दिनांक 02.02.2013 पर किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में कार्यालय नगर सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 03-01-2013 अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर (कुशल श्रमिक) दैनिक वेतन भोगी मस्टर की लिये गये कार्य की पुष्टि तथा कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 3 जनवरी से दिनांक 31 मार्च 2013 तक कार्य लेने की अवधि वृद्धि की जाती है। इनमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 791

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 808 दिनांक 06-03-2013

झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 48 के अन्तर्गत जलयंत्रालय में कार्यरत 1 फीडर व 2 बेलदार की स्वीकृति के संबंध में झोनल अधिकारी एवं नगर शिल्पज्ञ, जलयंत्रालय की नोटशीट पृष्ठ 12 पर टीप दिनांक 03.12.13 का अवलोकन किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त झोन अधिकारी, झोन क्र. 10 एवं नगर शिल्पज्ञ, जलयंत्रालय की टीप एवं अनुशंसा अनुसार झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 48 में 01 फीडर व 02 बेलदार की आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 23.07.12 की पुष्टि एवं कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01.09.2012 से दिनांक 31 मार्च 2013 तक की अवधि वृद्धि की जाती है। इनमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद "अस्थाई श्रमिकों पर व्यय" में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

